न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार, (स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
13 / 2025	26.11.2025	30.03.2026

1. अमित बालौत पुत्र हरिसिंह जाति मीना निवासी आकाश वाणी के पीछे गौत्तम कॉलोनी बजरिया सवाईमाधोपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील खण्डार।

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—श्री धर्मेन्द चौधरी प्रार्थी की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 का पेश किया है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से हैः—

- यह कि प्रार्थी आकाश वाणी के पीछे गौत्तम कॉलोनी बजरिया सवाईमाधोपुर का स्थाई निवासी है। एवं खसरा नम्बर 1349/768 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 759/2 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 759/3 रकबा 5 बीघा वांके ग्राम गण्डावर की भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। जमबान्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

- यह है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 1349/768 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 759/2 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 759/3 रकबा 5 बीघा वांके ग्राम गण्डावर भूमि पर प्रार्थी निरन्तर रूप से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है।

- यह है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात तरमीम शुदा भूमि है। नकल नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

- प्रार्थी की उक्त खातदेरी भूमि कब्जे काश्त की भूमि के लिए पत्थरगढ़ी बाबत् तहसीलदार खण्डार को प्रार्थना पत्र दिया था। कई बार पत्थरगढ़ी के लिए निवेदन किया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई एवं तहसीलदार ने प्रार्थी से कहा कि पत्थरगढ़ी के आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी खण्डार से लेकर आओं तब जाकर आपकी जमीन की पत्थर गढ़ी का कार्य सम्पन्न होगा इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमन जी के समक्ष पेश करना लाजमी आया।

- यह कि प्रार्थीगण की भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे स्थित होने के कारण प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमानजी को प्राप्त है

- यह कि प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद एवं निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है।

- यह कि अन्य उज्रात वरबक्त बहस जुबानी वाद मिशल मुआयना अर्ज किये जायेगें ।

- अतः श्रीमानजी की सेवामे प्रार्थना पत्र बाव[illegible]ने पत्थरगढी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] खसरा नम्बर 1349/768 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 759/2 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 759/3 रकबा 5 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा वांके ग्राम गण्डावर की भूमि का पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.04.09 18:31:35 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थी द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
(सवा[illegible]माधोपुर)

पत्र में अंकित खसरा नम्बर 1349/768 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 759/2 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 759/3 रकबा 5 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा वांके ग्राम गण्डावर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड खातेदारी भूमि का वर्तमान में फसल खड़ी होने के कारण सीमाज्ञान किया जाना सम्भव नहीं है तथा बिना सीमाज्ञान के उक्त खसरों की मौका की स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी सम्भव नहीं है। रबी की फसल कटने के पश्चात् उक्त विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर मौका रिपोर्ट पेश कर दी जावेगी।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 1349/768 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 759/2 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 759/3 रकबा 5 बीघा वांके ग्राम गण्डावर भूमि पर प्रार्थी निरन्तर रूप से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात तरमीम शुदा भूमि है। श्रीमानजी की सेवामे प्रार्थना पत्र बावत किये जाने पत्थरगढी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व खसरा नम्बर 1349/768 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 759/2 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 759/3 रकबा 5 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा वांके ग्राम गण्डावर की भूमि का पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

4. वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 1349/768 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 759/2 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 759/3 रकबा 5 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा वांके ग्राम गण्डावर भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु तहसीलदार कार्यालय में प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र पेश किया गया। प्रस्तुत रिकॉर्ड अनुसार तहसीलदार खण्डार के द्वारा विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु टीम का गठन भी दिनांक 18.06.2025 को किया गया। किन्तु आदिनांक तक तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश के लगभग 9 माह व्यतीत होने के पश्चात् भी सीमाज्ञान की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है। प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार होने के नाते अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढ़ी करवाने के अधिकारी है।

आदेश

5. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खण्डार को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 1349/768 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 759/2 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 759/3 रकबा 5 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा वांके ग्राम गण्डावर में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावें। पत्थरगढ़ी से पूर्व तहसीलदार खण्डार सीमावर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर सूचित करें। उक्त आदेश केवल पत्थरगढ़ी का है। जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावें अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावें। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार खण्डार को भेजी जावे। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.04.09 18:51:35 IST
Reason: SelfAttested

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)